संoसंo–9 / आo–04–46 / 2023 512(9) 22.05.25

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, लखीसराय के पत्राक–21 दिनाक–04.01.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डाo सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय (जन्म तिथि–10.07 1985) दिनाक–09 02 2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डाo गुप्ता के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 मे अन्तर्निहित प्रावधानों के [illegible] संकल्प [illegible] दिनाक–[illegible] [illegible] [illegible] एव पत्राक–196(9) दिनाक–02 02 2024 द्वारा डाo गुप्ता से द्वितीय कारण–पृच्छा की गई। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति मे दिनांक–12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्तत द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डाo गुप्ता को सेवा से बर्खारत करने हेतु शारित अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव मे बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4827 दिनांक–06 03.2025 द्वारा आयोग की सहमति एव दिनाक–16 05 2025 को सम्पन्न मत्रिपरिषद् की बैठक मे मद सख्या–36 पर मत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डाo सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को दिनाक–09 02.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेशः–सकल्प की प्रति डाo सोनी कुमारी गुप्ता एव सभी सबंधितों को निबधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/05/2025

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आo–04–46 / 2023(स्वाo) 512(9) / **पटना, दिनांकः** 22.05.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेo एवं हकo) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित (वैoदाoनिoकोo) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुगेर प्रमंडल, मुंगेर / सिविल सर्जन, लखीसराय / सबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डाo सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15

प्रतिलिपिः—माननीय मत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/अपर सचिव. स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,3,5,7,8,10, 17 एव 18 \ को सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible]

[illegible] IPN [illegible]

22/05/2015
सरकार के अवर सचिव।